

बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा आमंत्रण

NIT NO-04/ 2026

अष्टादश बिहार विधान सभा सदस्य परिचय पुस्तक की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईंडिंग, कवर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूनों के साथ प्रति पुस्तक न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-02.07.2026 के 3.00 बजे अपराह्न तक प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-06.07.2026 के 4.30 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अष्टादश बिहार विधान सभा सदस्य परिचय पुस्तक के स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा एवं निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें बिहार विधान सभा के वेबसाइट <https://vidhansabha.bihar.gov.in/> पर द्रष्टव्य हैं।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें

1. अष्टादश बिहार विधान सभा सदस्य परिचय पुस्तक के प्रारंभ में बिहार विधान सभा से संबंधित आठ रंगीन तस्वीर के साथ माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री सहित सप्तदश बिहार विधान सभा के सभी 243 माननीय सदस्यों का जीवनवृत्त, उनके रंगीन फोटो के साथ आर्ट पेपर पर मुद्रित होगा। सदस्य परिचय पुस्तक रंगीन, सुंदर आवरण एवं 3 ओर से गोल्डन एटलिक प्रिंटिंग के साथ मुद्रित होगी।
2. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
3. निविदादाताओं को निविदा के साथ कागज, कवर का नमूना (फर्म की मुहर, हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कवर पर फर्म का नाम, पता, दूरभाष एवं मोबाईल नंबर अंकित करना आवश्यक है।
4. निविदा के साथ जमा किये गये सभी कागजात स्वअधिप्रमाणित एवं पृष्ठ संख्यांकित होने चाहिए।
5. निविदादाता को समान प्रकृति कार्य (Similar nature of work) का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ नमूना एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।
6. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा, उन्हें उक्त कार्य के लिए कुल व्यय का 5% राशि की बैंक गारंटी जो दिनांक-31.03.2027 तक वैध हो, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम के पक्ष में सभा सचिवालय को जमा करना होगा, जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जायेगा।
7. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप सप्तदश बिहार विधान सभा सदस्य परिचय पुस्तक का मुद्रण नहीं होने तथा समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा।
8. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।


(संजय कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।